उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010

पत्रांक: 662/एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनॉक: 22.08.2024

दिनांक	:	22 अगस्त, 2024
समय	:	12:00 बजे
स्थान	:	उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति	:	संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की चौदहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की चौदहवीं बैठक डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 22 अगस्त, 2024 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर व मौसम वैज्ञानिक; गन्ना विभाग; पशुपालन विभाग; मत्स्य विभाग; उद्यान विभाग; रेशम विभाग; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ; आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक तथा उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, लखनऊ एवं उपकार के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा तथा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मौसम वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

प्रथम सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (23 से 29 अगस्त, 2024)

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कहीं–कहीं भारी वर्षा के साथ प्रदेश के अनेक भाग में हल्की से मध्यम वर्षा जबकि सप्ताहांत में प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है इस दौरान प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र एवं उससे संलग्न पश्चिमी मैदानी तथा उत्तरी–पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में सामान्य से आंशिक रूप से कम जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

द्वितीय सप्ताह का मौसम दृष्टिकोण (30 अगस्त से 05 सितम्बर, 2024)

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के विन्ध्य एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा उससे संलग्न मध्य मैदानी एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के कुछ भाग में सामान्य से कम वर्षा होने जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में सामान्य अथवा सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

मानसून ऋतु (01 जून से 22 अगस्त, 2024) के दौरान उत्तर प्रदेश में 533 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष कुल 477.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य से 10 प्रतिशत कम है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में 565.4 मिमी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 12 प्रतिशत कम कुल 498.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 487.6 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 8 प्रतिशत कम कुल 447.6 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई। मानसून ऋतु के दौरान अभी तक प्रदेश के बस्ती जनपद में सर्वाधिक 972.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

कृषि विभाग से दिनांक 14 अगस्त, 2024 तक प्राप्त आच्छादन आंकड़ों के अनुसार कुल खरीफ फसलों के लिये निर्धारित लक्ष्य 102.05 लाख हे. के सापेक्ष 101.87 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है जो लक्ष्य का 99.83 प्रतिशत है। धान के लक्ष्य 61.24 लाख हे. के सापेक्ष 62.36 लाख हे. की पूर्ति की जा चुकी है जो लक्ष्य का 101.84 प्रतिशत है, मक्का फसल लक्ष्य 8.81 लाख हे. के सापेक्ष 8.18 लाख हे. की बुवाई, ज्वार में 2.99 लाख हे. के सापेक्ष 2.95 लाख हे. की बुवाई, बाजरे के लक्ष्य 10.61 लाख हे. के सापेक्ष 10.18 लाख हे., अरहर लक्ष्य 3.68 लाख हे. के सापेक्ष 3.58 लाख हे., उर्द के लक्ष्य 7.57 लाख हे. के सापेक्ष 6.91 लाख हे., मूंग लक्ष्य 0.50 लाख हे. के सापेक्ष 0.48 लाख हे., मूंगफली लक्ष्य 1.32 लाख हे. के सापेक्ष 2.69 लाख हे., श्री अन्न 0.63 लाख हे. के सापेक्ष 0.55 लाख हे. तथा तिल लक्ष्य 4.25 लाख हे. के सापेक्ष 3.53 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधो के समुचित विकास हेतु विशेष रूप से धान में कल्ले व गॉठ बनने की अवस्था में पर्याप्त नमी बनाये रखे ताकि भूमि में दरारें न पड़ने पायें।
- धान की फसल में प्रारम्भिक अवस्थाओं (20-30 दिन) में खरपतवार से अधिक नुकसान होता है। अतः खरपतवार नियन्त्रण पर विशेष ध्यान दें। खरपतवार नियन्त्रण हेतु निकाई-गुड़ाई करें तथा यथा संभव पैडीवीडर का प्रयोग करें, नियंत्रण न होने पर संस्तुति अनुसार शाकनाशियों का प्रयोग करें।
- वातावरण में तापक्रम एवं नमी की अधिकता रहने से फसलों में रोग एवं कीट प्रभावी होंगे अतः कीट नियंत्रण हेतु पर्यावरण हितैषी उपायों यथा प्रकाश-प्रपंच, बर्ड पर्चर, फेरोमोन ट्रैप, ट्राइकोग्रामा तथा रोग नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें।
- जलभराव वाले क्षेत्रों में धान में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग से पूर्व यूरिया की मात्रा की दोगुनी मिट्टी में एक चौथाई गोबर की खाद मिलाकर 24 घण्टे तक रखने के उपरान्त टॉप ड्रेसिंग करना चाहिये। ऐसा करने से यूरिया रिसाव द्वारा नष्ट नहीं होगी।
- प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाय, कृषि रसायनों का प्रयोग वैज्ञानिक सलाह पर ही संस्तुति अनुरूप किया जाय।

धान की खेती

- रोपाई के 25-30 दिन बाद प्रथम टॉपड्रेसिंग तथा 45-50 दिन बाद द्वितीय टॉप ड्रेसिंग नत्रजन की शेष बची हुई मात्रा के एक चौथाई यूरिया से करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो।
- संकरी, चौड़ी पत्ती व मोथा खरपतवारों के नियंत्रण हेतु रोपाई के 20-22 दिन बाद नमी की स्थिति में बिसपाइरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत एस.सी. 0.20 ली. प्रति हे. 500 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- धान में तनाबेधक, पत्ती लपेटक, बंका कीट एवं हिस्पा के नियंत्रण हेतु बाईफेन्थिन 10 प्रतिशत ई.सी. 500 मिली. प्रति हे. अथवा क्यूनॉलफॉस 25 प्रतिशत ई.सी. 1.50 लीटर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें अथवा कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4जी 18 कि.ग्रा. मात्रा को रेत या यूरिया के साथ मिलाकर 3 से 5 से.मी. स्थिर पानी में बुरकाव करें।
- वर्तमान मौसम शीथ ब्लाइट के अनुकूल है अतः प्रकोप दिखाई देने पर हेक्साकोनाजोल 5.0 ई.सी. की 1.0 ली. मात्रा को 500-750 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- वर्तमान मौसम भूरा धब्बा रोग के लिये अनुकूल है अतः प्रकोप होने पर मैकोजेब 75 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा जिनेब 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.0 किग्रा. मात्रा 500-750 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- धान की बासमती समूह की प्रजातियों में बकानी रोग के लक्षण दिखाई देने पर पौधों को समूल उखाड़कर मिट्टी में दबा दें तथा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

मक्का की खेती

- मक्का की बुवाई के 45-50 दिन बाद (सिल्किंग स्टेज) नत्रजन की कुल संस्तुत मात्रा की एक चौथाई टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें।
- मक्का में तना छेदक के 10 मृत गोभ होने पर कार्बोफ्यूरान 3 जी 20 किग्रा. अथवा डाईमेथोएट 30 प्रतिशत ई.सी. 1.0 ली. प्रति हे. अथवा क्यूनालफास 25 प्रतिशत ई.सी. 1.50 ली. का प्रति हे. बुरकाव/500-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- जैविक विधि से कीट नियंत्रण हेतु ट्राइकोग्रामा अण्डयुक्त ट्राईकोकार्ड 50000 प्रति एकड़ की दर से पत्तियों की निचली सतह पर 5-6 दिन के अन्तर से दो बार नत्थी करें।
- मक्के की फसल अधिक पानी के प्रति संवेदनशील है अतः खेत में अधिक पानी की दशा में जल निकासी की व्यवस्था करें।
- मक्के में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप होने पर 10 से 20 प्रतिशत क्षति की अवस्था में प्रभावी नियंत्रण हेतु क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल 18.5 प्रतिशत एस.सी. 0.4 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा स्पाइनोसैड 0.3 मिली. प्रति

लीटर पानी अथवा थायामेथाक्सॉम 12.6 प्रतिशत+लैम्ब्डासाइहैलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत 0.5 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

अरहर की खेती

- पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ या लगातार वर्षा के कारण बुवाई में विलम्ब होने की दशा में सितम्बर के प्रथम पखवारे में बहार एवं पी.डी.ए.–11 की शुद्ध फसल के रूप में बुवाई की जा सकती है, परंतु कतार से कतार की दूरी 30 से.मी. एवं बीज की मात्रा 20 से 25 कि.ग्रा. प्रति हे. की दर से प्रयोग करें।
- अरहर में पत्ती लपेटक का प्रकोप दिखाई देने पर डाईमेथोएट 30 ई.सी. 1 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. 200 मिली. प्रति हे. की दर से छिड़काव करें।

उर्द–मूँग की खेती

- जो कृषक उर्द की बुआई अभी तक किन्हीं कारणोंवश नहीं कर सके है, वह शेखर–1, शेखर–2 व शेखर–3 की बुआई इस माह में पूर्ण करें।
- उर्द/मूंग में बिरलीकरण कर पौधे से पौधे की दूरी 8–10 सेमी. कर दें तथा संकरी व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु इमैजीथाइपर 10 ई.सी. की 750–1000 मिली. मात्रा 500 ली. पानी में घोलकर 20–25 दिनों बाद छिड़काव करें।
- उर्द /मूंग की पत्तियों पर सुनहरें चकत्ते पड़ गये हों या सम्पूर्ण पत्ती पीली पड़ गयी हो तो यह पीला चित्रवर्ण रोग (यलोमोजेक) है। यह रोग सफेद मक्खियों द्वारा फैलता है। ऐसे रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 ई0सी0 01 लीटर या मिथाइल ओ–डिमेटान (25ई0सी0) 01 लीटर प्रति हे0 की दर से दो–तीन छिड़काव करें।
- उर्द व मूंग में सफेद मक्खी, तनाबेधक तथा चूसक कीटों के नियंत्रण हेतु ईमामैक्टीन बेन्जोएट 80 ग्रा. तथा थाईमेथोक्सम 200 मि.ली. प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

तोरिया की खेती

- तोरिया की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजातियों टा–9, पी.टी.–303, भवानी मध्य उ.प्र. हेतु संस्तुत टाइप–36 तथा तराई क्षेत्र हेतु संस्तुत प्रजाति पी.टी.–30 के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें ताकि सितम्बर के प्रथम पखवारे में इसकी बुआई हो सके।

मूंगफली की खेती

- मूँगफली की बुआई के 30–35 दिन बाद दूसरी निकाई–गुड़ाई कर खर–पतवार नियंत्रण करें तथा हल्की–हल्की मिट्टी चढ़ाते रहे। खूटिया (पेग्गिंग) बनते समय निराई गुड़ाई न करें। पेग्गिंग बनते समय अगर सूखे की स्थिति हो सिंचाई अवश्य करें।
- मूंगफली में जड सड़न एवं टिक्का रोग लगने का समय है अतः सतर्क रहें। प्रकोप होने पर खड़ी फसल पर मैंकोजेब अथवा कार्बेन्डाजिम 50 डब्लू.पी. 225 ग्राम/हे. अथवा जिनेब 75 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 2.5 किग्रा. अथवा जीरम 27 प्रतिशत तरल के 3 लीटर अथवा जीरम 80 प्रतिशत के 2 किग्रा. के 2–3 छिड़काव 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अन्तर पर करें।
- मूंगफली में बुवाई के 35 से 40 दिन बाद 200 कि.ग्रा. जिप्सम प्रति हेक्टेयर डालकर मृदा में मिला दें अगर खड़ी फसल में पेग्गिंग हो रही हो तो जिंक सल्फेट के 5 ग्रा. प्रति लीटर या फेरस सल्फेट के 10 ग्रा. प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें।
- मूंगफली में सफेद गिडार के प्रबंधन हेतु खड़ी फसल में क्लोरपाईरीफॉस 20 ई.सी. 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से जड़ों में अथवा सिंचाई के माध्यम से डालें।
- यह मौसम टिक्का रोग (पत्र दाग) के लिये अनुकूल है। अतः रोग का संक्रमण दिखाई देने पर मैकोजेब अथवा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. 225 ग्राम प्रति हेक्टेयर या जिनेब 75 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर अथवा जीरम 80 प्रतिशत 2 किग्रा प्रति हे. के 2 से 3 छिड़काव 500–600 लीटर पानी मे घोलकर 10 दिन के अंतराल पर करें।

सोयाबीन की खेती

- सोयाबीन की फसल में पत्तियों को काटने वाले कीट, रस चूषक तथा गर्डल बीटिल का प्रकोप होने पर क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.5 लीटर अथवा इथियान 50 ई.सी. 1.5 लीटर 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

तिल की खेती

- तिल में रोएंदार सूँड़ी (विहार हेयरी कैटर पिलर) का प्रकोप होने पर प्रारम्भिक अवस्था में अण्ड समूह/सूँड़ियों को पत्तियों सहित तोड़कर केरोसिन युक्त पानी में डालकर नष्ट कर दें अथवा क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.5 लीटर 500–600 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।

गन्ना की खेती

- बेधक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिये 50 हजार ट्राइकोग्रामा अंड युक्त ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में 8 से 10 स्थानों पर लगायें। कार्ड टुकड़ों में काटकर पंत्तियों की निचली सतह पर नत्थी कर दें। यह कार्य 10 दिनों के अंतराल पर दोहरायें।
- गन्ने की तीसरी बधाई करें।
- आगामी शरदकालीन गन्ने की बुआई वाला खेत यदि खाली है तो हरी खाद के लिये सनई व ढैंचा की बुआई करें। पूर्व में बोई गई हरी खाद फसलों की पलटाई करें।
- लाल सड़न रोग से प्रभावित खेतों में मेड़बंदी कर दें, जिससे संक्रमित सिंचाई जल से स्वस्थ फसल प्रभावित न हो। लाल सड़न रोग से प्रभावित क्लंप/मूढ़ को उखाड़कर नष्ट कर दें तथा उखाड़े गये स्थान पर ट्राइकोडर्मा से उपचार करें तथा बचाव हेतु मिथाइल 0.2 प्रतिशत की ड्रेंचिंग करें।
- पायरीला का प्रकोप होने पर तथा परजीवी (इपीरिकेनिया मेलानोल्यूका) न पाये जाने की स्थिति में क्वीनालफास 25 प्रतिशत घोल 0.80 ली. प्रति हे. 625 ली. पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- सिंगल बड/बड चिप विधि से नर्सरी तैयार करने हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर लें, जिससे कि सितम्बर के प्रथम सप्ताह में नर्सरी लगाई जा सकें।
- समिति में नई सदस्यता ऑनलाइन ग्रहण करें।

सब्जियों की खेती

- बेहन हेतु पातगोभी, मध्यकालीन फूलगोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर आदि की नर्सरी में बुआई करें तथा पूर्व में बोई गई तैयार पौध की रोपाई करें।
- परवल की गाँठ युक्त लताओं की रोपाई यथाशीघ्र समाप्त करें।
- शकरकन्द की संस्तुत प्रजातियों का कन्द लगायें ताकि समय से लतायें मिल सकें।
- इस समय सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। अतः इससे बचाव हेतु नीम आधारित उत्पादों, वर्मीवाश अथवा संस्तुति के अनुरूप कीटनाशकों का प्रयोग करें।
- बैंगन व मिर्च की तैयार बेहन की मेड़ों पर रोपाई करें।
- शाकभाजी फसलों में विषाणु जनित रोगों का प्रकोप होने पर प्रभावित पौधों को खेत से निकालकर जला दें अथवा मिट्टी में दबा दें तथा संस्तुत अंतःप्रभावी कीटनाशकों को छिड़काव करें।
- बैंगन की फसल को तना और फलबेधक कीट से बचाव के लिये क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल रसायन की 1.0 मिली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10–15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
- बैंगन की फसल में फाईमोप्सिस ब्लाईट फलसड़न से बचाव के लिये थायोफिनेट मिथाइल की 1.00 से 1.50 मि.ली. मात्रा/ली. पानी के साथ घोल 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। फलों की तुड़ाई के बाद स्प्रे करें एवं अगली तुड़ाई 15 दिन बाद करें।
- हल्दी एवं अदरक में जल निकास का प्रबंध रखें तथा संस्तुति के अनुसार नत्रजन का प्रयोग करें।

बागवानी

- बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। आम, अमरूद, आंवला, लीची एवं नीबू की उन्नतिशील किस्मों के नवीन बागों का रोपण अतिशीघ्र पूर्ण करें तथा पूर्व में लगाये गये बागों में जो पौधे किसी कारणवश मर गये हो उनके स्थान पर नये पौधे लगायें। आम के बाग के प्रथम 10 वर्षों में अधिक लाभ के लिये अंतःफसल के रूप में आलू, मिर्च, टमाटर, लोबिया तथा ग्लोडियोलेस की खेती की जा सकती है।
- शाखा गांठ कीट एवं टेंट कैटरपिलर की रोकथाम हेतु डाईमेथिओएट 2 मिली0/ली0 या क्यूनालफास 2 मिली0/ली0 की दर से 15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
- आम में रेड रस्ट एवं ऐन्थ्रकनोज के नियंत्रण के लिये कॉपरआक्सी क्लोराईड (3 ग्राम/लीटर पानी) का छिड़काव करें।

- आंवले में फलसड़न रोग की रोकथाम हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) तथा बोरेक्स (6 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- केला में पर्णचित्ती एवं एन्थ्रेकनोज रोग के नियंत्रण हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- केले में फल वाले पौधों में स्टेकिंग (सहारा) दें तथा केले की तलवार पुत्ती को छोड़ते हुये शेष पुत्तियों की कटाई करें तथा 50 से 60 ग्राम यूरिया प्रति पौधा देकर मिट्टी में मिलायें।
- केले में वर्तमान मौसम में बीटिल कीट को प्रकोप होता है जिसके नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस (1.25 मि.ली. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें अथवा कार्बोफ्यूरान 3 से 4 ग्राम प्रति पौधे की दर से गोफे में तथा मिट्टी में मिलायें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन

- वर्तमान में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी (एफ.एम.डी.) एवं ब्रूसिलोसिस का टीकाकरण 30 अगस्त तक सभी पशुचिकित्सालयों में कराया जा रहा है। पशुओं में टीकाकरण सुनिश्चित करायें।
- छोटे पशुओं जैसे भेंड़ व बकरी को जलभराव क्षेत्र से बचायें। भेड़ों के पानी में भीगने के कारण उनका वजन बढ़ जाता है तथा वह बैठकर उठ नहीं पाती है जिससे उनकी पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है साथ ही उनमें निमोनिया रोग की संभावना बढ़ जाती है।
- जलभराव वाले क्षेत्रों में गायों को फुटरॉट बीमारी से बचाने हेतु उनके बाड़ों में चूना डालें तथा पोटेशियम परमैगनेट के एक प्रतिशत घोल से खुर तथा फर्श की धुलाई करें।
- पशुओं को अन्तः कृमिनाशक तथा वाह्य परजीवीनाशक दवाई पशुचिकित्सक की सलाह पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें।
- हरा चारा धोकर खिलायें जिससे पैरासाईट चारे के साथ पशुओं में न जायें।
- बाह्य परजीवी दवा का छिड़काव अवश्य करें।
- मुर्गियों को भीगने से बचायें। मुर्गियों के भीगने से तनाव के कारण अंडा उत्पादन प्रभावित होता है।

मत्स्य पालन

- सभी हैचरियों एवं विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों पर कतला, रोहू, नैन, सिल्वर कार्प एवं ग्रास कार्प के मत्स्य बीज उपलब्ध है। मत्स्य पालक अपने तालाबों में मत्स्य बीज संचय करायें।
- जलीय गुणवत्ता के लिये तालाब में चूने का प्रयोग करें। उर्वरीकरण की दृष्टि से 250 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर चूने का प्रयोग उपयुक्त होता है। यह मत्स्य रोग नियंत्रण में भी सहायक होता है।
- जिन तालाबों में गन्दा पानी आ गया हो उनमें जियोलाइट 25 किग्रा./हे. की दर से बालू में मिलाकर तालाबों में डलवाएं। इससे पानी साफ हो जायेगा और बदबूदार गैसेज निकल जायेगी। ताजा पानी भी मिलायें।
- जिन तालाबों में मत्स्य बीज संचय हो चुका है उनमें प्लेंकटान 5 किग्रा. प्रति हे. की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें इससे तालाब में प्लेंकटान की मात्रा में वृद्धि होगी जो कि मछलियों का प्राकृतिक भोजन है।
- जो मत्स्य पालक बीज संचय कर चुके है वह अपने तालाबों में सीफैक्स 1 ली./हे. 200 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- जिन तालाबों में जलकुम्भी एवं अन्य जलीय पौधे हैं उन्हें तत्काल निकाल दे।
- मछलियों में वृद्धि हेतु पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के वजन के 1 से 2 प्रतिशत तक किया जाय।
- जलाशय/नदियों में 31 अगस्त तक शिकारमाही प्रतिबंधित है।
- तालाब की मिट्टी की अम्लीयता निगरानी में रखें। अधिक अम्लीयता की मिट्टी को गोबर (20–30 टन प्रति हे.) या जिप्सम (5 टन प्रति हे.) के साथ नियंत्रित करें।

रेशम

- रेशम कीट पालन के इच्छुक कृषक अपने नजदीकी रेशम अधिकारी/प्रभारी से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर कीटपालन कार्य करें।

- शहतूती मानसून फसल सितम्बर के प्रथम सप्ताह से तथा एरी मानसून फसल सितम्बर के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ हो रही है। इस हेतु कीटपालक समस्त आवश्यक तैयारियां यथा विशुद्धीकरण आदि समय से पूर्ण कर लें। कीटपालन भवन एवं उपकरणों का 2 प्रतिशत फार्मलीन के घोल का छिड़काव कर विशुद्धीकरण कर लिया जाय तथा विशुद्धीकरण उपरांत कीटपालन भवन को 24 घंटे के लिये एयरटाईट बंद कर दें।

वानिकी

- वृक्षारोपण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें।
- वृक्षारोपण उपरांत जो पौधें मर गये हो उनके स्थान पर गैप फिलिंग करें।

आपदा प्रबंधन

- उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी वज्रपात (आकाशीय बिजली) तथा सर्पदंश से बचाव हेतु सुरक्षा के उपायों का पालन करें।
- सर्पदंश, वज्रपात या आकाशीय बिजली, डूबने अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से मृत्यु होने की दशा में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा रू. 4.00 लाख की अहैतुक सहायता दी जाती है। अधिक जानकारी के लिये जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 05 सितम्बर, 2024 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः– क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट www.kisanmitraup.ai पर भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

(संजय सिंह) 22/8/24
महानिदेशक

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

22/8/24

(संजीव कुमार)
उप महानिदेशक

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की चौदहवीं बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2024 की उपस्थिति

1. डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
3. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ ।
4. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
5. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ ।
6. श्री अमर सिंह, संयुक्त गन्ना आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश
7. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आवजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन) ।
8. डा. यू.पी. शाही, प्राध्यापक मृदा विज्ञान एवं प्रधान अन्वेषक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस)
9. डा. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र, पशुपालन, उत्तर प्रदेश
10. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
11. श्री गिरीश त्रिपाठी, सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. श्री नीरेन्द्र कमार, रेशम विकास अधिकारी, रेशम, उत्तर प्रदेश।
13. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
14. श्री नेत्रपाल यादव, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।